(69)

294

(1)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म0प्र0)

R 5085 II/17

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs-30/-

1— ओमती कचेर पत्नी श्री रमेश कचेर उम्र 50 वर्ष, पेशा चूड़ी पहनाना
2— रमेश कचेर पिता स्व0 भारत कचेर उम्र 57 वर्ष, पेशा चूड़ी पहनाना
निवासी नगर परिषद् गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
————— निगरानीकर्तागण

बनाम

1— शोभनाथ प्रसाद दुबे तनय विशेषर प्रसाद दुबे, उम्र 70 वर्ष
निवासी मकान नं0— 35/108 घोघर नगर रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)
2— शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर साहब, जिला रीवा (म0प्र0)
————— गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री जगदीश प्र0 गुप्ता
द्वारा प्रस्तुत 27.2.17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी/पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण कमांक 17/अ—12/2016 17 में पारित आदेश दिनाँक 28/12/2016।

निगरानी/पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959।

मान्यवर,

निगरानी/पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैं।

सूक्ष्म तथ्य :—

1— यह कि निगरानीकर्तागण पिछड़ा वर्ग का अत्यंत गरीब व कमजोर व्यक्ति है। वह नगर परिषद् गोविन्दगढ़ के वार्ड नं0—12 आ0नं0 1375/0.672 हे0, शासकीय चेक आबादी की भूमि के अंश भाग 20X25 फिट में पुस्तैनी लगभग 80 वर्ष पुराने बने माकान में रहता है व अपना कार्य व्यवसाय करता है, जिससे लगी हुयी मकान सहित उसके पूर्व तथा दक्षिण तरफ 100X55 लगभग 5500 वर्गफिट बेशकीमती करोड़ो रुपये की शासकीय चेक आबादी आराजी नं0— 1375 की ही खाली भूमि है। आराजी नं0— 1375 से पूर्व लगी, गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 के कथित भू स्वामित्व की भूमि आ0नं0 1374/0.089 हे0 आबादी गोंधठान है। गैरनिगरानीकर्ता अत्यन्त धनवान शक्तिशाली, राजनैतिक प्रभावशाली व सरहंग व्यक्ति है। वह पुलिस विभाग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted]ांक R5085-II/17 जिला–रीवा

श्रीमती ओमती कचेर/ शोभनाथ प्रसाद दुवे

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अखण्ड प्रकाश गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक,मण्डल गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 17/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	